

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2438 / 2022

दिनांक : 21.08.2023

श्री अनिल बेनीवाल (RJ00179), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरु को दिनांक 25.07.2023 से 27.07.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री बेनीवाल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरु के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/21/2013/5345

दिनांक : 21.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरु को उनके पत्रांक 55 दिनांक 28.07.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल बेनीवाल (RJ00179), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, चूरु।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु।

21.8.2023
सहायक रजिस्ट्रार